न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 99/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/166

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
जगदीश विश्नोई पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 33,बलदेव नगर बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.इन्द्रादेवी पत्नी हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का चौक बालोतरा 2.ग्राम पंचायत पचपदरा जरिए ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पचपदरा 3.रणविजयसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति चारण निवासी पुराना पादरू बस स्टेण्ड के पास,कब्रिस्तान के सामने बालोतरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री प्रेमसिंह विप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्ता
3. विप्रार्थी संख्या 01 व 3,4 एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 23.07.24

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चिरडाणी तहसील पचपदरा खसरा संख्या 694/168 क्षेत्रफल 0.2909 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर मनमुटाव हो रहा है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चिरडाणी तहसील पचपदरा खसरा संख्या 694/168 क्षेत्रफल 0.2909 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:07:29 IST
Reason: SelfAttested

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह द्वारा विप्रार्थी संख्या 03

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की ओर से वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया तथा प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1,2 व 4 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चिरडाणी तहसील पचपदरा खसरा संख्या 694/168 क्षेत्रफल 0.2909 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चिरडाणी तहसील पचपदरा खसरा संख्या 694/168 क्षेत्रफल 0.2909 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से मनगढत एवं झूठे तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो खारिज योग्य है,क्योकि विवादित भूमि काश्त योग्य नहीं है। इस कारण मूल खातेदार द्वारा विवादित भूमि प्रार्थी को अभी बेचान की गई है। विवादित भूमि व इसके लगती भूमि भी टुकड़ो में विभाजित हो रखी है। प्रार्थी की विवादित भूमि से सेढा–पड़ौसी द्वारा कभी वाद विवाद नहीं किया गया,बल्कि प्रार्थी उक्त आवेदन के जरिए विप्रार्थी की भूमि को हड़प करने की नियत से आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थी की ओर से विवादित भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट भी एकतरफा तैयार करवाइ गई है,क्योकि सीमाज्ञान के समय विप्रार्थी को कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ और न ही सूचित किया गया है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,संलग्न दस्तावेजात एवं मौका फर्द रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम चिरडाणी तहसील पचपदरा खसरा संख्या 694/168 क्षेत्रफल 0.2909 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार [illegible] है। [illegible] प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:07:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 05.01.2024 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। ऐसी सूरत में प्रार्थी अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चिरडाणी तहसील पचपदरा खसरा संख्या 694/168 क्षेत्रफल 0.2909 हैक्टयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 23.07.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:07:29 IST
Reason: SelfAttested